रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० मैनपुरा

आवेदन पत्र की समय से जांच की गई। जिसके अनुसार

श्रीमानजी

पुत्री द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड राशन कार्ड पहचान पत्र के आधार पर अमेर पुत्र गणपत के बजाय अमेरसिंह पुत्र गणपतराम शुद्ध किया जाना उचित है।

पटवारी मैनपुरा

सरपंच

सरपंच
ग्राम पंचायत मैनपुरा

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक: राजस्व / 2020 / दिनांक:

उक्त आवेदन पत्र की तहसील उदयपुरवाटी के अभिलेख से मिलान से विदित है कि आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य सही / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने का अभिमत दी जाती है।

13/12/2021

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

- आदेश -

दिनांक :- 13-12-2021

दावी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षी एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हरियाना	2018-19	101	अमेर पुत्र गणपत जाति गुर्जर	अमेरसिंह पुत्र गणपत राम जाति गुर्जर

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की सूचना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 13-12-2021

क्रमांक: राजस्व / 2020 / 2165

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 13:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner